

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0-97/13574- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा बिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए अनुसार गांव रैथोज, जिला गुड़गांव में राजकीय उच्च-विद्यालय के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र संख्या II और III घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव रैथोज, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च-विद्यालय के आस-पास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र संख्या II और III की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 514/94, दिनांक 6 जून, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

नियन्त्रित क्षेत्र-II

उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम:- इसमें गांव भोंडसी, जिला गुड़गांव की आयत संख्या 180, 181, 182, 183, 210, 211, 212 और 213 शामिल है।

नियन्त्रित क्षेत्र-III

- उत्तर: बिन्दू 'ग' अर्थात गांव रैथोज की आयत संख्या 9 के उत्तर- पश्चिमी कोने से शुरू करके, इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 9,10,11 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 11 के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 11 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर रैथोज गांव की आयत संख्या 15 ओर 14 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'घ' तक जहां यह गांव रैथोज की पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पूर्व: इसके बाद दक्षिण की ओर गांव रैथोज, गांव सहजावास और गांव बेहलपा की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दू "ड" तक अर्थात गांव बेहलपा की आयत संख्या 20 का दक्षिणी पूर्वी कोना।
- दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 20 और 19 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव बेहलपा की आयत संख्या 19 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 23 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 23 और 24 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ख' तक, जहां यह दमदमा-गुड़गांव सड़क की पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पश्चिम:- इसके बाद उत्तर की ओर हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0-91/7467, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 द्वारा पहले ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'क' तक अर्थात गांव रैथोज की आयत संख्या 8 का उत्तर-पूर्वी कोना, इसके बाद उत्तर की ओर गांव रैथोज की आयत संख्या 9 के पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ग' तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दू।

भास्कर चटर्जी,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 28<sup>th</sup> August, 1997

No. JD-97/13574- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declares the area around Govt. High School at village Rethoj, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area No. II and III for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area II and III around Govt. High School of village-Rethoj, Distt. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 514/94 dated 6<sup>st</sup> June, 1994.

CONTROLLED AREA-II

North, South, East & West: It comprises at rect. Nos. 180,181,182,183,210,211,212 and 213 of Village Bhondsi, Distt. Gurgaon.

CONTROLLED AREA-III

- North: Starting from point 'C' i.e. the north-western corner of rectangle No. 9 of village Rethoj; thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 9,10,11 up to the north-eastern corner of rectangle No. 11 thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 11 upto its south-eastern corner, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 15 and 14 of the Rethoj village upto the point 'D' where it meets the eastern boundary of village Rethoj.
- East: Thence towards south along the eastern revenue boundary of village Rethoj, village Sahjawas and village Behlpa upto point 'E' i.e. the south-eastern corner of rectangle No. 20 of village Behlpa.
- South: Thence towards west along the Southern boundary of rectangle No. 20 and 19 upto the south-western corner of rectangle No. 19 of village Behlpa, thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 23 up to its south eastern corner, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 23 and 24 upto the point 'B' where it meets the eastern boundary of Damdama-Gurgaon road.
- West: Thence towards north along the eastern boundary of controlled area already declared-0 vide Haryana govt. Gazette notification No. JD-91/7467 dated the 30<sup>th</sup> April, 1991 upto point 'A' i.e. the north eastern corner of rectangle No. 8 of village Rethoj, thence towards north along the western boundary of rectangle No. 9 of village Rethoj upto point 'C' i.e. the point of start.

BHASKAR CHATTERJEE  
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.